प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला **ए.सी.बी जोधपुर ग्रामीण** थाना **ए.सी.बी, सी.पी.एस., जयपुर** वर्ष **2023**

प्र.इ.रि.सं. 150/23 दिनांक 14/6/2023

2. (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारायें. 7
   (2) अधिनियम ....–............भा.द.स.........–...............धारायें.............. ....
   (3) अधिनियम ....–...............................धारायें..........................–....................
   (4) अन्य अधिनियम व धाराये...–...
3. (अ) रोजनामचा आम रपट .संख्या 260 समय 4:00 pm
   (ब) अपराध के घटने का दिन :– 13.06.2023 समय – 1.33 पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– 07.06.2023 समय 6.50 पी.एम.
4. सूचना किस्म :– टाईपशुदा
5. घटनास्थल :– नया बस स्टेशन बालेसर जिला जोधपुर
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण चौकी से बदिशा पश्चिम, करीब 80 कि0मी0
   (ब) पता :– ग्रम पंचायत बेलवा खत्रीया पंचायत समिति बालेसर जिला जोधपुर ।
   ....बीट सख्या..................–....................जरायमदेही सं...–......
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ....–..............................जिला...............–...........................
6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्री मुकेश कुमार
   (ब) पिता का नाम : श्री पुखाराम
   (स) जन्म तिथि : 24 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता,:– भारतीय
   (य) पासपोर्ट सख्या..................–...जारी होने की तिथि ...–...........
   जारी होने की जगह ....–...
   (र) व्यवसाय :– मजदुरी
   (ल) पता :– निवासी – बेलवा खत्रीया का बास तहसील बालेसर जिला जोधपुर
7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   श्री सेठाराम पुत्र श्री हडमाना राम उम्र 30 साल जाति माली निवासी बेलवा खत्रिया तहसील बालेसर जिला जोधपुर हाल उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया पंचायत समिति बालेसर जिला जोधपुर
8. शिकायत/इत्तिला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण
   ....
9. चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)
   ....
10. चोरी हुई सम्पत्ति कुल मूल्य/रिश्वती राशि 53,000/– रूपये...
11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट), (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0), (यदि कोई हो तो)...
12. प्र.सू.रि. की विषय वस्तु (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)

सेवामें,

श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय,
कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जोधपुर ग्रामीण (राज.)

विषय :– रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाने बाबत।

महोदय जी

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं मुकेश कुमार पुत्र श्री पुखाराम जाति माली उम्र 24 साल निवासी बेलवा खत्रीया का बास तहसील बालेसर जिला जोधपुर की अर्ज इस प्रकार है कि मेरा कब्जा सुदा भूखण्ड आबादी भूमि ग्राम बेलवा खत्रीया तहसील बालेसर में आया हुआ है उक्त भूखण्ड मेरा पैतृक भूखण्ड है। मेरे इस भूखण्ड के दो पट्टे बनवाने है जिसमें एक पट्टा मेरी पत्नि श्रीमति हीरादेवी के नाम से एवं दूसरा पट्टा मेरे भाई श्री गिरधारी के नाम से या मेरी माताजी श्रीमति पूरो देवी के नाम से पट्टे बनवाने के लिए हमारी ग्राम पंचायत के श्री सेठाराम उप सरपंच हाल कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा खत्रीया से सम्पर्क किया जाने पर श्री सेठाराम उप सरपंच हाल कार्यवाहक सरपंच द्वारा मेरे कब्जा सुदा पैतृक भूखण्ड के पट्टे बनाने की एवज में 55,000/– रूपये रिश्वति राशि की मांग कर रहा है तथा श्री सेठाराम उप सरपंच हाल कार्यवाहक सरपंच को मैंने मेरे भूखण्ड के पट्टे बनाने का प्रार्थना पत्र पेश किया तो श्री सेठाराम उप सरपंच हाल कार्यवाहक सरपंच ने कहा कि पहले पैसे लेकर आ जाओ उसी दिन आपका प्रार्थना पत्र लेकर पट्टे की कार्यवाही कर दूंगा। मैं मेरे पुस्तेनी भूखण्ड का पट्टा बनवाने के जायज काम की एवज में श्री सेठाराम उप सरपंच हाल कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा खत्रीया को रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं। श्री सेठाराम उप सरपंच हाल कार्यवाहक सरपंच से मेरी किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं है और न ही मेरा कोई पैसो का लेन देन बकाया है। रिपोर्ट पेश करता हुं उचित कानुनी कार्यवाही करावे। मै अपने आधार कार्ड की प्रतिलिपी पेश कर रहा हुं।

दिनांक– 07/06/2023

प्रार्थी

एसडी
मुकेशकुमार पुत्र श्री पुखाराम
जाति माली– ग्राम बेलवा खत्रीया
तहसील बालेसर (जोधपुर)
8875998372

कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण

कार्यवाही पुलिस

निवेदन है कि दिनांक 07.06.2023 वक्त 6.50 पी.एम. पर श्रीमति अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण के समक्ष परिवादी श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री पुखाराम जाति माली उम्र 24 साल निवासी बेलवा खत्रीया का बास तहसील बालेसर जिला जोधपुर ने कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर ने एक टाईप शुदा लिखित रिपोर्ट पेश की व तकरीरन दरियाफ्त पर परिवादी ने टाईप सुदा रिपोर्ट मे अंकित तथ्य सही होना, स्वयं के हस्ताक्षर होना एवं उक्त रिपोर्ट बाजार में कम्प्युटर की दुकान पर स्वंय द्वारा बोल–बोल कर टाईप करवाना बताया। परिवादी ने यह भी बताया कि मेरे पुस्तैनी भूखण्ड का पट्टा जारी करने की एवज में श्री सेठाराम उप सरपंच हाल कार्यवाहक सरपंच 55,000/–रूपये की मांग कर रहा है। मैं मेरे जायज काम के लिए श्री सेठाराम उप सरपंच हाल कार्यवाहक सरपंच को रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं, मेरी श्री सेठाराम उप सरपंच हाल कार्यवाहक सरपंच से कोई दुश्मनी नही है और न ही किसी प्रकार का कोई लेन देन बकाया है। कानुनी कार्यवाही करावे। परिवादी द्वारा प्रस्तुत टाईप सुदा लिखित रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पाया जाने पर उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया जाकर रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया। जिस पर वक्त 7.15 पी.एम. पर श्रीमति मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस ने

[redacted]

कार्यालय में उपस्थित श्री बचनाराम कानि. 447 को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी श्री मुकेशकुमार का कानि. श्री बचनाराम कानि. 447 से आपसी परिचय करवाकर कार्यालय का डिजिटल वार्यस रिकार्डर अलमारी से निकालकर परिवादी श्री मुकेशकुमार एवं श्री बचनाराम कानि. 447 को कार्यालय का डिजिटल वार्यस रिकार्डर को चलाना व बंद करने की विधि की समझाईस कर परिवादी व श्री बचनाराम के मोबाईल नम्बरो का आपस में आदान प्रदान करवाया गया। तत्पश्चात वक्त 7.35 पीएम पर श्रीमति मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस को परिवादी श्री मुकेशकुमार ने बताया कि मेरे गांव बेलवा खत्रीया की दूरी यहां से काफी अधिक होने एवं अब रात्रि का समय हो जाने से आज मेरे गांव पहुंचेगे जब तक काफी रात हो जायेगी इसलिए आज रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता होना संभव नही है। श्री सेठाराम उप सरपंच हाल कार्यवाहक सरपंच अब रात्रि को नही मिलेंगे कल सुबह दिनांक 08.06.2023 को मिल जायेगें। जिस पर श्रीमति मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री मुकेशकुमार को हिदायत दी गई कि आप कल दिनांक 08.06.2023 को बेलवा खत्रीया के बस स्टैण्ड पर वक्त करीब 9.30 एएम पर उपस्थित रहना आपसे श्री बचनाराम कानि. जरिये मोबाईल सम्पर्क कर आपके पास आयेगा। ताबाद परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रवाना किया गया। वक्त 7.45 पीएम पर श्रीमति मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा कानि. श्री बचनाराम को कल दिनांक .08.06.2023 वक्त 5.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आवे तथा मन् निरीक्षक पुलिस से कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर परिवादी श्री मुकेशकुमार से मोबाईल पर सम्पर्क कर उसके बताये अनुसार स्थान पर पहुॅच कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने की हिदायत की गई।

दिनांक 08.06.2023 को वक्त 6.15 ए.एम पर श्री बचनाराम कानि. कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया जिस पर श्रीमति मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर तथा उसके अन्दर मैमोरी कार्ड सुपर्द कर परिवादी श्री मुकेशकुमार से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर परिवादी श्री मुकेशकुमार व आरोपी श्री सेठाराम उप सरपंच हाल कार्यवाहक सरपंच के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु श्री बचनाराम कानि. को परिवादी के बताये अनुसार स्थान पर पहुॅचने की हिदायत कर ग्राम बेलवा खत्रीया की तरफ रवाना किया। वक्त 01.15 पी.एम. पर श्री बचनाराम कानि. नं. 447 ने श्रीमति मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल फोन अवगत करवाया कि परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता हो गई है। परिवादी ने मेरे को बताया कि श्री सेठाराम उप सरपंच हाल कार्यवाहक सरपंच ने मेरे भूखण्ड का पट्टा जारी करने की एवज में 55,000/– रूपये की मांग की जिस पर मेरे द्वारा कुछ राशि कम करने की विनती करने पर श्री सेठाराम उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच ने 1000–2000 रूपये कम करने एवं उक्त राशि सोमवार तक व्यवस्था करके बुलाया हैं। जिस पर श्रीमति मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री बचनाराम कानि. को निर्देशित किया की परिवादी श्री मुकेशकुमार को सोमवार दिनांक 12.06.2023 को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि रूपये 53,000/– की व्यवस्था कर कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु पांबद्व कर परिवादी को वही छोडा जाकर कार्यालय पहुंचने की हिदायत दी गई। वक्त 8.00. पीएम पर श्री बचनाराम कानि. नं. 447 कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर स्विच ऑफ शुदा श्रीमति मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि "मैं श्रीमान के निर्देशानुसार आज सुबह कार्यालय से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्डर कर लाने हेतु कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के रोडवेज बस से रवाना होकर बालेसर पहुंचा तथा वक्त 9.07 एएम पर परिवादी श्री मुकेशकुमार से उसके मोबाईल नं. 8875998372 पर मेरे मोबाईल से फोन कर वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि आप बालेसर ही रूको मैं श्री सेठाराम का मालूमात करके वापिस बता रहा हुं। वक्त 10.32 ए.एम. पर परिवादी श्री मुकेशकुमार ने मेरे को अपने मोबाईल से फोन कर बताया कि आपके पास मेरा एक आदमी मोटरसाईकिल लेकर आ रहा हैं आप उस आदमी के साथ बैलवा खत्रीया आ जाओ। जिस पर मै परिवादी द्वारा भेजे गये आदमी के साथ उसकी मोटरसाईल से ग्राम बैलवा खत्रीया पहुंचा जहां पर परिवादी श्री मुकेशकुमार उपस्थित मिला, परिवादी द्वारा आरोपी श्री सेठाराम उप सरपंच हाल कार्यवाहक सरपंच की उपस्थिति के बारे मे मालूमात किया तो पता चला कि आरोपी श्री सेठाराम कार्यवाहक सरपंच बैलवा खत्रीया के बाजार मे ही हैं जिस पर मैने कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालु कर परिवादी श्री मुकेशकुमार को सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु रवाना किया तथा मै वही पर अपनी उपस्थित छुपाते हुए खडा रहा। कुछ समय पश्चात श्री मुकेशकुमार मेरे पास उपस्थित आया जिस पर मैने परिवादी श्री मुकेशकुमार से कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्ड प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। इसी दरम्यिान परिवादी श्री मुकेश कुमार ने रिश्वती राशि मांग से सम्बन्धित हालात निवेदन किये थे जो श्रीमान को मैने जरिये मोबाईल फोन पर अवगत करवाया था। तत्पश्चात निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री मुकेशकुमार एवं संदिग्ध श्री सेठाराम उप सरपंच हाल– कार्यवाहक सरपंच के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो आरोपी द्वारा परिवादी से उसके भूखण्ड का पट्टा जारी करने की एवज में रिश्वती राशि की मांग करने की पुष्टी हुई है।

दिनांक 11.06.2023 को वक्त 11.00 ए.एम पर श्रीमति अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस के घर पर अति आवश्यक कार्य होने से स्वीकृत सुदा आकस्मिक अवकाश पर रवाना हो रही है। उक्त ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही

मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो जोधपुर ग्रामीण द्वारा की जाने हेतु परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं दिनांक 08.06.2023 को परिवादी श्री मुकेशकुमार एवं आरोपी श्री सेठाराम उप सरपंच हाल कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बैलवा खत्रीया के मध्य हुई रुबरु रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड करवाई गई थी उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्ड श्रीमति अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया जाकर उक्त ट्रेप कार्यवाही के अब तक के हालात निवेदन किये गये। जिस पर मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा वक्त 11.15 ए.एम पर परिवादी श्री मुकेशकुमार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट,एवं अब तक की गई कार्यवाही से सम्बन्धित रिकार्ड एवं कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी श्री मुकेशकुमार तथा आरोपी सेठाराम उप सरपंच, हाल– कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बैलवा खत्रीया के मध्य हुई दिनांक 08.06. 2023 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड है उक्त डिजिटल वायस रिकॉर्डर एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय दस्तावेज सुरिक्षत हालात में प्राप्त कर परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन किया जाकर उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर अपने पास सुरक्षित रखा। श्रीमती अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस ने मन अतिरिक्त पुलिस को यह भी अवगत करवाया कि परिवादी श्री मुकेशकुमार कल दिनांक 12.06. 2023 को रिश्वती राशि लेकर कार्यालय में उपस्थित होगा जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आईन्दा दिनांक 12.06.2023 को परिवादी श्री मुकेशकुमार के उपस्थित आने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात वक्त 7.30 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही मे स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर दो गवाहान दिनांक 12.06.2023 को वक्त 8.30 ए.एम. पर उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया गया।

दिनांक 12.06.2023 को वक्त 10.00 ए.एम. पर पूर्व से पांबद्वसुदा स्वतंत्र गवाहान के कार्यालय मे उपस्थित आने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर उक्त दोनो गवाहान से परिचय पूछने पर उन्होने अपना परिचय बारी–बारी से श्री अतुल परिहार पुत्र श्री ओमप्रकाश परिहार जाति दर्जी उम्र 31 साल पैशा नौकरी निवासी 31 बी इष्ट पटेल नगर सर्किट हाउस रोड रातानाडा जोधपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर मो0न0 8094700787 एवं श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह उम्र 28 वर्ष जाति राजपुत निवासी प्लाट संख्या 306 जेड.एस.ए. गली नम्बर 31, आर.टी.ओ. आफिस रोड़ बी.जे.एस. जोधपुर पुलिस थाना महामन्दिर कमिश्नरेट जोधपुर हाल पटवारी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर (उत्तर) मोबाईल नम्बर 9549642496 के रुप मे दिया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत टाईपसुदा रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया एवं पढाई गई। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपनी अभिरक्षा से कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्ड निकालकर चालु कर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्डेड वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश सुनाये गये। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी की रिपोर्ट पर अपने–अपने हस्ताक्षर कर प्रकरण मे बतौर स्वतंत्र गवाहान रहने की मौखिक अनुमति दी गई। वक्त 11.00 ए.एम पर पूर्व से पांबद्वसुदा परिवादी श्री मुकेशकुमार कार्यालय मे उपस्थित आया। जिस पर मन ओमप्रकाश अति. पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो जोधपुर ग्रामीण द्वारा अपना परिचय दिया जाकर परिवादी का परिचय प्राप्त कर परिवादी श्री मुकेशकुमार का कार्यालय मे उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री अतुल परिहार एवं श्री सुरेन्द्रसिह से आपसी परिचय करवाया गया। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी श्री मुकेशकुमार से उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे अंकित तथ्यो के संबंध मे पूछताछ कर पूर्ण तसल्ली की गई। ताबाद मन ओमप्रकाश अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु दोनो स्वतंत्र गवाहान के परिवादी श्री मुकेशकुमार को आरोपी श्री सेठाराम कार्यवाह सरपंच को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि के बारे पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि मै 53,000/– रुपये अपने साथ लेकर आया हुं। वक्त 11.05 ए.एम. पर मन् ओमप्रकाश चौधरी अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री मुकेशकुमार को रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहा जाने पर परिवादी श्री मुकेशकुमार ने आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 53,000/–रू 500–500 रू. के कुल 106 नोट रूबरू गवाहान के प्रस्तुत किये। जिस पर श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 से मालखाना से फिनोफ्थलीन की शीशी मंगवाई जाकर उक्त रिश्वती राशि 53,000/– रुपये श्री ताराचन्द्र हैड कानि. को सुपुर्द कर उक्त नोटो को एक पुराने अखबार पर रखवाये जाकर हल्का हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री अतुल परिहार से लिवाई गई तो परिवादी के पास मोबाईल फोन, स्वयं का आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड, स्वयं के पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ एवं मोटरसाईकिल की चाबी के अतिरिक्त कोई आपत्तिजनक राशि/अन्य सामान नहीं रहने दिया गया। उक्त नोट परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 से रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई की रिश्वती राशि को रास्ते में हाथ ना लगाये व आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात अपने मोबाईल नं. 8875998372 से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर 8947093394 पर मिस कॉल/कॉल अथवा दोनो हाथ सिर पर दो बार फेर कर गोपनीय इशारा करें। गवाहान व ट्रेप पार्टी को भी आरोपी व परिवादी के मध्य होने वाली बातचीत व लेन–देन को यथा सम्भव सुनने व देखने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात श्री ताराचन्द हैड कानि.

112 के हाथ धोवन की कार्यवाही की जाकर दृष्टांन्त फिनोफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया को भली भांति समझाया गया। इसके बाद दृष्टांत के काम मे लिये गये ट्रेप सामग्री किट को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बॉक्स मे रखवाया गया। जिस पुराने अखबार पर राशि रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था उस अखबार को रूबरू गवाहान श्री ताराचन्द्र हैड कानि. 112 से जलवाया जाकर नष्ट कराया गया। तत्पश्चात परिवादी को छोड़कर समस्त ट्रेप पार्टी की आपस मे तलाशी लिवाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नही रहने दी गई तथा सभी के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना मे सुरक्षित रखवाई जाकर हैड कानि. को कार्यालय मे रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात वक्त 12.05 पी.एम. पर मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री मुकेशकुमार ने अपने स्तर पर आरोपी श्री सेठाराम उप सरपंच हाल– कार्यवाहक सरपंच की उपस्थिति के बारे मे मालूमात कर अवगत करवाया कि श्री सेठाराम अभी गांव बैलवा व बालेसर मे उपस्थित नही हैं। सायं करीब 4–5 बजे के आस–पास बैलवा या बालेसर आने की सम्भवना हैं। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री सेठाराम के उपस्थित आने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने एवं परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 08.06.2023 की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया। वक्त 02.35 पी.एम. पर परिवादी श्री मुकेशकुमार एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री अतुल परिहार एवं श्री सुरेन्द्रसिह की उपस्थिति में परिवादी श्री मुकेशकुमार एवं आरोपी श्री सेठाराम उप सरपंच हाल– कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बैलवा खत्रीया के मध्य रुबरु हुई रिश्वती राशि की मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 08.06.2023 जो कार्यालय हाजा के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के मेमौरी कार्ड में रिकॉर्ड करवाई गई थी। उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी अभिरक्षा से निकालकर कार्यालय के कम्प्युटर से जोडकर श्री बचनाराम कानि. 447 से उक्त मैमोरीकार्ड मे रिकॉर्ड वार्ता की कम्प्युटर मे कॉपी करवाई जाकर एक सीडी तैयार करवाई गई। उक्त सीडी को डब सीडी मानते हुए खुला ही रखने का निर्णय लिया जाकर उक्त सीडी को कार्यालय के कम्प्युटर मे डाल कर उक्त रिकॉर्ड वार्ता को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन–सुन कर श्री बचनाराम कानि. 447 की सहायता से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन तैयार की जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रंनिग नोट की गई। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त मैमोरी कार्ड को रुबरु गवाहान व परिवादी के एक कपडे की थैली मे डालकर, थैली के मुह की सिलाई कर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शील्ड मोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर, उक्त शील्ड सुदा मैमोरी कार्ड के पैकेट को मालखाना प्रभारी श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाया गया। उक्त डब सीडी को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा। वक्त 5.10 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री मुकेशकुमार से अपने स्तर पर आरोपी श्री सेठाराम कार्यवाहक सरपंच की उपस्थिति के बारे मे मालूमात करवाया गया तो पता चला कि आरोपी श्री सेठाराम ग्राम बैलवा एवं बालेसर पर उपस्थित नही हैं अपने काम से कही गया हुआ है। परिवादी के बताये अनुसार आज ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नही होने से मन ओमप्रकाश चौधरी अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही कल दिनांक 13.06.2023 को करने का निर्णय लिया जाकर परिवादी श्री मुकेशकुमार को पूर्व में सुपुर्द की गई रिश्वती राशि 53,000/– रूपये परिवादी की जेब से स्वतंत्र गवाह श्री अतुल परिहार से निकलवाये जाकर एक सफेद कागज में लिपटवा कर कार्यालय हाजा की अलमिरा के डबल लॉक मे रखवाये जाकर ताला लगवाया जाकर चाबी मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखी गई। वक्त 5.30 पी.एम. पर मन ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 13.06.2023 को वक्त 7.30 ए.एम पर कार्यालय मे उपस्थित आने तथा ट्रेप कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रुखसत दी गई एवं परिवादी श्री मुकेशकुमार को कल दिनांक 13.06.2023 को वक्त 9.30 ए.एम पर बालेसर से 2 किलोमीटर जोधपुर की तरफ मुख्य सडक पर उपस्थित मिलने तथा रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता में पाये गये तथ्यों अनुसार परिवादी को अपने भाई, माताजी एवं पत्नि के आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजात सहित उपस्थित मिलने एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रुखसत दी गई।

दिनांक 13.06.2023 को वक्त 7.30 ए.एम. पर पूर्व में पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री अतुल परिहार एवं श्री सुरेन्द्रसिह कार्यालय में उपस्थित आये जिजस पर वक्त 8.10 ए.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक के सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई रिश्वती राशि को श्री अतुल परिहार स्वतंन्त्र गवाह से कार्यालय की सुरक्षित अलमारी के डबल लॉक से निकलवाई जाकर सफेद कागज में लिपटी हुई अवस्था में ही सुपुर्द कर मन् ओमप्रकाश चौधरी अति. पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री अतुल परिहार, श्री सुरेन्द्रसिह, ब्यूरो जाब्ता श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओम प्रकाश कानि. 471, श्री भीमसिंह कानि. 446, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री रामकिशोर कानि. 110, श्री संजय कानि. 587 के मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरीकार्ड ट्रेप

सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली के जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लाला राम 638 एवं सरकारी वाहन टवेरा नं0 आरजे 14 यूसी 8790 चालक श्री मोहनराम हैड कानि. 44 के एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से बालेसर के लिये रवाना होकर वक्तः 10.15 ए.एम. पर मन अति. पुलिस अधीक्षक मय हमरायान के कस्बा बालेसर से दो किलोमीटर पहले जोधपुर की तरफ मुख्य सडक पर पहुचे जहां पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री मुकेशकुमार उपस्थित मिला। जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करते हुए परिवादी श्री मुकेशकुमार की तलाशी गवाह श्री सुरेन्द्रसिह से लिवाई जाने पर उसके पास स्वंय के मोबाईल फोन, स्वयं का आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड, स्वयं के पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ एवं मोटरसाईकिल की चाबी, अपनी पत्नि श्रीमति हीरा एवं अपने भाई श्री गिरधारी के आधार कार्ड इत्यादि, पाये गये जिन्हे परिवादी के पास ही रहने दिये गये। इसके अलावा कोई सदिग्ध राशि एवं दस्तावेजात नही पाये गये। तत्पश्चात् स्वतंन्त्र गवाह श्री अतुल परिहार को पूर्व में सुपुर्द की गई रिश्वती राशि सफेद कागज में से निकलवाई जाकर रिश्वती राशि को उपनर निचे करवाई जाकर परिवादी श्री मुकेश कुमार के पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में गवाह श्री अतुल परिहार से रखवाई जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि रास्ते में उक्त राशि के हाथ नहीं लगावें एवं श्री सेठाराम कार्यवाहक सरपंच द्वारा मांगने पर निकाल देवें तथा रिश्वती राशि का आदान–प्रदान होने पर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा करें तत्पश्चात सफेद कागज को रूबरू गवाहान व परिवादी के जलाकर नष्ट करवाया गया एवं स्वतंन्त्र गवाह श्री अतुल परिहार के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात वक्त 10.35 ए.एम. पर मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री सेठाराम की उपस्थिति मालुमात करने हेतु परिवादी श्री मुकेश कुमार के मोबाईल नम्बर 8875998372 से संदिग्ध श्री सेठाराम के मोबाईल नम्बर 9829632143 पर वक्त 10.29 ए.एम पर वार्ता करवाई जाने पर आरोपी ने स्वंय को बालेसर से बाहर होकर करीब 2 घण्टे बाद बालेसर में मिलने बाबत कहा जाने पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय समस्त ब्यूरो जाब्ता व स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी के रवाना हो कस्बा बालेसर से जोधपुर रोड की तरफ पॉच किलोमीटर पर संदिग्ध के बालेसर में आने के इन्तजार मे मुकीम हुए। वक्त 12.30 पी.एम. पर आरोपी श्री सेठाराम द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 9829632143 से परिवादी श्री मुकेश कुमार के मोबाईल नम्बर 8875998372 पर वक्त 12.16 पी.एम. पर वार्ता कर स्वंय को करीब आधा घण्टे बाद बालेसर पहुँच बालेसर में मिलने हेतु कहा जाने पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय समस्त ब्यूरो जाब्ता व स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी के हमरा रवाना हो कस्बा बालेसर के नया बस स्टैण्ड के पास पहुँचे तथा वक्त 01.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री बचनाराम कानि. को कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बालेसर नया बस स्टैण्ड पर पहुँच कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी श्री मुकेश कुमार को सुपुर्द करने की हिदायत कर परिवादी के साथ परिवादी के साथ पैदल ही नया बस स्टैण्ड के पास गली की तरफ रवाना कर सरकारी वाहनों को गोपनीय रूप से खड़े कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय शेष ब्यूरो जाब्ता व स्वतन्त्र गवाहान नया बस स्टैण्ड के पास गोपनीय रूप से अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए।

दिनांक 13.06.2023 वक्तः 3.00 पी.एम. तक वक्त 1.33 पी.एम पर परिवादी श्री मुकेश कुमार ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पूर्व मे निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने मोबाईल नम्बर 8875998372 से कॉल कर किया जिस पर परिवादी के उक्त मोबाईल कॉल के ईशारे पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र मौतबिरान एवं ब्यूरो जाब्ता को ईशारे से बुलाकर न्यू बस स्टेण्ड बालेसर पर स्थित चाय नास्ते के केबिन के पीछे पहुंचा जहां पर परिवादी श्री मुकेशकुमार उपस्थित मिला। परिवादी श्री मुकेशकुमार के पास एक व्यक्ति 500–500 रुपयों का एक बण्डल हाथ मे लिये हुए खडा मिला, इसी दौरान परिवादी श्री मुकेशकुमार को पूर्व मे दिया गया कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर स्वीच ऑफ कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। आईन्दा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री मुकेशकुमार ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अपने पास खडे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह श्री सेठाराम उप सरपंच हाल कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बैलवा खत्रीया हैं। जिस पर मन ओमप्रकाश अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना, दोनो स्वतंत्र मौतबिरान व हमराहियान का परिचय दिया जाकर उस व्यक्ति से परिचय पूछा गया तो उसने अपना नाम श्री सेठाराम पुत्र श्री हनुमानराम जाति माली उम्र 30 साल निवासी बैलवा खत्रीया तहसील व पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर हाल–कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बैलवा खत्रीया पंचायत समिति बालेसर तहसील बालेसर जिला जोधपुर होना बताया। जिस पर मन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री सेठाराम के बाये हाथ में रखे 500–500 रुपये के नोटो के बण्डल को स्वतंत्र गवाह श्री सुरेन्द्रसिह से लिवाये जाकर उनके पास ही सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री सेठाराम के दोनो हाथ कलाईयो के उपर से ब्यूरो जाब्ता से पकडवाये जाकर न्यू बस स्टेण्ड बालेसर पर अत्यधिक भीड हो जाने एवं मौके पर अग्रिम कार्यवाही करना सम्भव नही होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना बालेसर मे करने का निर्णय लिया जाकर आरोपी श्री सेठाराम को यथास्थिति हाथ पकडवाये हुए सरकारी वाहन मे बिठाया जाकर मन अति. पुलिस

अधीक्षक हमराहियान दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री मुकेशकुमार एवं ब्यूरो जाब्ता के वहां से रवाना होकर पुलिस थाना बालेसर पहुंचा। पुलिस थाना बालेसर मे श्री भरत हैड कानि. 34 उपस्थित मिला जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहियान का परिचय देकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाने मे करने की अनुमति प्राप्त कर आरोपी श्री सेठाराम कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बैलवा खत्रीया के विरुद्व अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करना प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात मन ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री मुकेशकुमार की तरफ ईशारा कर आरोपी श्री सेठाराम से पूछा गया कि आप इनको जानते हो जिस पर आरोपी श्री सेठाराम ने बताया कि हॉ मैं इनको जानता हूँ यह मुकेशकुमार हैं। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु गवाहान के आरोपी श्री सेठाराम से पूछा गया कि आपने श्री मुकेशकुमार से किसी प्रकार की कोई राशि प्राप्त की हैं, जिस पर आरोपी श्री सेठाराम ने रुबरु गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के कहा कि श्री मुकेशकुमार मेरी खान से पत्थर लेकर आया था उसी पत्थरो के 53,000/– रुपये लिए थे, मै उक्त पैसो की गिनती कर रहा था जब तक आप लोग आ गये थे। जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री मुकेशकुमार ने आरोपी श्री सेठाराम के उक्त कथनो का खण्डन करते हुए बताया कि मेरा भूखण्ड ग्राम बेलवा खत्रीया तहसील बालेसर में आया हुआ है उक्त भूखण्ड मेरा पैतृक है। मेरे इस भूखण्ड के दो पट्टे बनवाने है जिसमें एक पट्टा मेरी पत्नि श्रीमति हीरादेवी के नाम से एवं दूसरा पट्टा मेरे भाई श्री गिरधारी के नाम से या मेरी माताजी श्रीमति पूरो देवी के नाम से पट्टे बनवाने के लिए मैने श्री सेठाराम उप सरपंच हाल कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा खत्रीया से सम्पर्क किया जाने पर श्री सेठाराम उप सरपंच हाल कार्यवाहक सरपंच द्वारा मेरे भूखण्ड के पट्टे बनाने की एवज में 55,000/– रूपये रिश्वति राशि की मांग कर रहे थे तथा श्री सेठाराम उप सरपंच हाल कार्यवाहक सरपंच को मैंने मेरे भूखण्ड के पट्टे बनाने का प्रार्थना पत्र पेश किया तो श्री सेठाराम उप सरपंच हाल कार्यवाहक सरपंच ने कहा कि पहले पैसे लेकर आ जाओ उसी दिन आपका प्रार्थना पत्र लेकर पट्टे की कार्यवाही कर दूंगा। दिनांक 08.06.2023 को आप द्वारा रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाया गया था उस दिन भी श्री सेठाराम ने मेरे से 55,000/– रुपये की मांग की फिर मेरे द्वारा बार–बार मिन्नते करने पर 2,000/– रुपये कम करते हुए 53,000/– रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु सहमत हुए थे। आज श्री सेठाराम कार्यवाहक सरपंच ने मेरे से 53,000/– रुपये मेरे भूखण्ड के पट्टे बनाने की एवज प्राप्त किये है। जिस पर मन ओमप्रकाश चौधरी अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री सेठाराम को पुनः तसल्ली देकर परिवादी से रिश्वती राशि प्राप्त करने के बारे मे रुबरु गवाहान पूछा गया तो आरोपी श्री सेठाराम कार्यवाहक सरपंच निरुत्तर हो गया। जिस पर मन ओमप्रकाश अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा सरकारी वाहन बोलेरो से ब्यूरो जाब्ता से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर आरोपी श्री सेठाराम कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बैलवा खत्रीया के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से नये दो कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त कॉच की गिलासो में पुलिस थाना बालेसर मे रखे पीने के पानी के कैम्पर से पानी की बोतल भरवाकर मंगवाई जाकर उक्त दोनो कांच की गिलासों में पानी भरवाया गया। तत्पश्चात मन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त दोनो गिलासो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगणो ने गिलासो के उक्त घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त तैयार घोल के एक गिलास मे आरोपी श्री सेठाराम कार्यवाह सरपंच के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे कॉच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री सेठाराम कार्यवाहक सरपंच के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित किया गया। ताबाद मन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा पूर्व मे तैयार सुदा फर्द पेशकशी रिश्वती राशि निकलवाकर गवाह श्री अतुल परिहार को सुपुर्द कर गवाह श्री सुरेन्द्रसिह के पास रखी रिश्वती राशि के नम्बर बोल–बोल कर फर्द पेशकशी मे अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाने पर फर्द पेशकशी मे अंकित नोटो के नम्बर हुबहु पाये गये। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री सेठाराम उप सरपंच हाल– कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बैलवा खत्रीया का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धोवन कार्यवाही पृथक से तैयार कर विस्तृत विवरण अंकित किया जाकर शामिल रंनिग नोट की गई। आरोपी के निवास स्थान की खाना तलाशी ली जाना आवश्यक होने से कार्यवाही के दौरान श्री लालाराम कानि0 चालक, श्री रामकिशोर कानि. 110 एवं पुलिस थाना बालेसर से श्री गंगाराम कानि न0 939 को आरोपी के निवास स्थान ग्राम बेलवा खत्रिया की निगरानी के लिए जरिये सरकारी वाहन से रवाना किया गया तथा प्रकरण में आरोपी श्री सेठाराम के उप सरपंच पद पर निर्वाचित होने तत्पश्चात उप सरपंच से सरपंच के पद पर कार्यभार ग्रहण करने से सम्बधित दस्तावेजात से सम्बधित

प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवाने एवं आरोपी की नमूना आवाज पहचान हेतु ग्राम पंचायत बेलवा में कार्यरत कर्मचारी अथवा पंचायत समिति बालेसर में कार्यरत कर्मचारी को एसीबी कार्यालय जोधपुर में वक्त 8.00 पीएम पर भिजवाने हेतु श्री बाबुसिंह राजपुरोहित विकास अधिकारी पंचायत समिति बालेसर से जरिये मोबाईल वार्ता कर निर्देशित किया गया। तत्पश्चात वक्त 3.05 पी.एम. पर मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री सेठाराम उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया पंचायत समिति बालेसर जिला जोधपुर के हाथो के लिये गये धोवन की शिल्ड सुदा शिशियां जब्त सुदा रिश्वति राशि आदि मुताबिक फर्दात एवं ट्रेप बाक्स तथा दस्तयाब सुदा आरोपी श्री सेठाराम उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच को श्री रामकुमारसिह कानि0 न0 493 व श्री संजय कानि न0 587 के सुर्पद कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाब्ता, परिवादी श्री मुकेश कुमार को हमरा लेकर परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब करने हेतु नया बस स्टैण्ड बालेसर के लिए जरिये सरकारी वाहन टवेरा से रवाना हुए। वक्त 3.55 पी.एम. तक रवाना सुदा नया बस स्टैण्ड बालेसर पहुँच परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब कर पुनः पुलिस थाना बालेसर पहुँच आरोपी श्री सेठाराम उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया पंचायत समिति बालेसर जिला जोधपुर के हाथो के लिये गये धोवन की शिल्ड सुदा शिशियां जब्त सुदा रिश्वति राशि आदि मुताबिक फर्दात एवं ट्रेप बाक्स तथा दस्तयाब सुदा आरोपी श्री सेठाराम उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी अभिरक्षा में लिया गया। तत्पश्चात वक्त 4.10 पी.एम. तक आरोपी श्री सेठाराम पुत्र श्री हनुमानराम उम्र 30 साल जाति माली निवासी बेलवा खत्रिया तहसील बालेसर जिला जोधपुर हाल उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया पंचायत समिति बालेसर जिला जोधपुर से की गई पूछताछ व हाथ धोवन एवं अब तक की कार्यवाही से आरोपी द्वारा परिवादी श्री मुकेश कुमार के कब्जा शुदा भूखण्ड के दो पट्टे जारी करने की एवज में 55,000/– रूपये रिश्वति राशि की मांग करना वक्त सत्यापन आरोपी श्री सेठाराम उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया द्वारा परिवादी से 55,000/– रूपये रिश्वति राशि की मांग करना एवं परिवादी द्वारा मिन्नते करने पर एक–दो हजार रूपये कम प्राप्त करने के लिए सहमत होना तथा वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री सेठाराम उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया द्वारा 53,000/– रूपये परिवादी से प्राप्त कर अपने हाथ में रखना, जो रिश्वति राशि आरोपी श्री सेठाराम उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया के हाथ में से बरामद होना जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री सेठाराम पुत्र श्री हनुमानराम उम्र 30 साल जाति माली निवासी बेलवा खत्रिया तहसील बालेसर जिला जोधपुर हाल उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया पंचायत समिति बालेसर जिला जोधपुर को जरिये फर्द गिरफ्तारी जुदागाना मुर्तिब कर गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात वक्त 4.20 पी.एम. तक मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री अतुल परिहार, श्री सुरेन्द्रसिह, परिवादी श्री मुकेशकुमार एवं ब्यूरो जाब्ता श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओम प्रकाश कानि. 471, श्री भीमसिंह कानि. 446, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री रामकिशोर कानि. 110, संजय कानि0 110 के मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली के जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लाला राम 638 एवं सरकारी वाहन टवेरा नं0 आरजे 14 यूसी 8790 चालक श्री मोहनराम हैड कानि0 44 व गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री सेठाराम पुत्र श्री हनुमानराम उम्र 30 साल जाति माली निवासी बेलवा खत्रिया तहसील बालेसर जिला जोधपुर हाल उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया पंचायत समिति बालेसर जिला जोधपुर मय बरामदा रिश्वति राशि एवं जब्त शील्ड सुदा वजह सबूत, रिश्वती राशि मुताबिक फर्दात के हमराह लेकर आरोपी के निवास स्थान बेलवा खत्रिया की खाना तलाशी एवं एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण के लिये रवाना हुए। वक्त 6.10 पी.एम. तक रवाना सुदा वक्त 4.55 पीएम पर आरोपी श्री सेठाराम उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया के रहवासिय मकान ग्राम बेलवा खत्रिया पर पहुँच आरोपी के मकान की खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कर शामिल रंनिग नोट करते हुए मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री अतुल परिहार, श्री सुरेन्द्रसिह, परिवादी श्री मुकेशकुमार एवं ब्यूरो जाब्ता श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओम प्रकाश कानि. 471, श्री भीमसिंह कानि. 446, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री रामकिशोर कानि. 110, संजय कानि0 110 के मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली के जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लाला राम 638 एवं सरकारी वाहन टवेरा नं0 आरजे 14 यूसी 8790 चालक श्री मोहनराम हैड कानि0 44 व गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री सेठाराम पुत्र श्री हनुमानराम उम्र 30 साल जाति माली निवासी बेलवा खत्रिया तहसील बालेसर जिला जोधपुर हाल उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया पंचायत समिति बालेसर जिला जोधपुर मय बरामदा रिश्वति राशि एवं जब्त शील्ड सुदा वजह सबूत, रिश्वती राशि मुताबिक फर्दात के हमराह लेकर एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण के लिये रवाना हुए।

दिनांक 13.06.2023 को वक्त 7.55 पी.एम.पर मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमरायान के रवानाशुदा कार्यालय पहुॅच जब्त शुदा रिश्वती राशि 53,000/– रूपये, आरोपी श्री सेठाराम उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच के दोनों हाथों के धोवन के प्रादर्श आरएच 1, आरएच 2, एलएच 1, एलएच 2, सील्डशुदा शिशियां एवं बरामदा रिश्वती राशि माफिक फर्दात के मालखाना प्रभारी श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी सुरक्षित अभिरक्षा मे रखा गया। तत्पश्चात वक्त 8.00 पी.एम. पर श्री रामकिशोर कानि0 110, श्री संजय कानि. 587 जरिये सरकारी वाहन बोलेरो संख्या आर.जे 14 यूसी 4995 चालक श्री लालाराम के आरोपी श्री सेठाराम पुत्र श्री हनुमानराम उम्र 30 साल जाति माली निवासी बेलवा खत्रिया तहसील बालेसर जिला जोधपुर हाल उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया पंचायत समिति बालेसर जिला जोधपुर का जिला अस्पताल पावटा से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्रात कर आरोपी श्री सेठाराम को सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि रहदारी हेतु पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी कमिश्नरेट जोधपुर को सुपुर्द करते हुए प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लाने हेतु रवाना किया गया। वक्त 8.15 पी.एम तक परिवादी श्री मुकेशकुमार एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री अतुल परिहार एवं श्री सुरेन्द्रसिह की उपस्थिति में परिवादी श्री मुकेशकुमार एवं आरोपी श्री सेठाराम उप सरपंच हाल– कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बैलवा खत्रीया के मध्य रुबरु हुई रिश्वती राशि वक्त लेन–देन वार्तालाप दिनांक 13.06.2023 जो कार्यालय हाजा के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के मेमौरी कार्ड में रिकॉर्ड करवाई गई थी। उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी अभिरक्षा से निकालकर कार्यालय के कम्प्युटर से जोडकर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में श्री बचनाराम कानि. 447 से उक्त मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड वार्ता की कम्प्युटर मे कॉपी करवाई जाकर एक सीडी तैयार करवाई गई। उक्त सीडी को डब सीडी मानते हुए खुला ही रखने का निर्णय लिया जाकर उक्त सीडी को कार्यालय के कम्प्युटर मे डाल कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के कार्यालय के कम्पयुटर में इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुन–सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार करना शुरु की गई। वक्त 8.50 पी.एम तक परिवादी श्री मुकेश कुमार एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री अतुल परिहार एवं श्री सुरेन्द्रसिह की उपस्थिति में परिवादी श्री मुकेशकुमार एवं आरोपी श्री सेठाराम उप सरपंच हाल– कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बैलवा खत्रीया के मध्य रुबरु हुई रिश्वती राशि वक्त लेन–देन वार्तालाप दिनांक 13.06.2023 जिसकी सीडी पूर्व में तैयार की गई थी उक्त सीडी को कार्यालय के कम्प्युटर मे डाल कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के कम्पयुटर के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुन–सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल मैमोरी कार्ड को रूबरू गवाहान व परिवादी के एक कपडे की थैली डालकर, थैली के मूंह की सिलाई, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शिल्ड मोहर कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त शील्ड सुदा मैमोरी कार्ड के पैकेट को मालखाना प्रभारी श्री ताराचन्द हैड कानि 112 को सुपर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर जमा मालखाना करवाया गया। तथा उक्त वार्ता की पूर्व में तैयार की गई सीडी को डब मानते हुए खुला रखने का निर्णय लिया जाकर उक्त डब सीडी को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात वक्त 9.00 पी एम पर पूर्व से विकास अधिकारी पंचायत समिति बालेसर द्वारा पाबन्द शुदा दो व्यक्ति उपस्थित आये जिन्हे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय दिया जाकर उनका बारी–बारी से परिचय पूछने पर श्री गुलाबचन्द पुत्र श्री बाबुलाल उम्र 52 साल जाति सोनी निवासी ग्राम बालेसर दुर्गावता तहसील बालेसर जिला जोधुपर हाल सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति बालेसर जिला जोधपुर मोबाईल नम्बर 7976245589 एवं श्री कालुराम पुत्र श्री सताराम उम्र 41 साल जाति मेघवाल निवासी बेलवा राणाजी तहसील बालेसर जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया पंचायत समिति बालेसर जिला जोधपुर मोबाईल नम्बर 8875150188 के रूप में दिया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर मौखिक सहमति प्राप्त की गई। फर्द आवाज पहचानकर्ता पृथक से तैयार की जावेगी। श्री गुलाबचन्द सहायक विकास अधिकारी द्वारा श्री सेठाराम उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया के निर्वाचन से सम्बधित प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जो बाद अवलोकन शामिल रंनिट नोट की गई। वक्त 9.30 पी एम तक आरोपी श्री सेठाराम उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया की रिकार्ड की गई वार्ता की पहचान करने हेतु आरोपी के विभाग से सम्बधित तलब शुदा श्री गुलाबचन्द सहायक विकास अधिकारी एवं श्री कालुराम कनिष्ठ सहायक हाजिर है। उक्त आवाज पहचानकर्ता एवं स्वतंत्र गवाहान श्री अतुल परिहार व श्री सुरेन्द्रसिंह के रूबरू मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आपने पास रखी आरोपी श्री सेठाराम उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया एवं परिवादी श्री मुकेश कुमार के मध्य हुई दिनांक 08.06.2023 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 13.06.2023 को रिश्वती राशि वक्त लेन–देन वार्ता की सीडी तैयार की गई थी उक्त सीडीयो को कार्यालय के कम्प्युटर में बारी–बारी डालकर चलाया जाकर आरोपी के विभाग से सम्बधित उपस्थित उक्त पहचानकर्ताओ को रिकार्ड वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश सुनाये जाकर अलग से फर्द आवाज पहचान तैयार कर शामिल रंनिग नोट करते हुए श्री गुलाबचन्द सहायक विकास अधिकारी एवं श्री कालुराम कनिष्ठ सहायक एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री अतुल परिहार एवं श्री सुरेन्द्रसिंह व परिवादी मुकेश कुमार को बाद कार्यवाही के

इजाजत वापसी दी गई तथा दोनो डब सीडीयो को श्री ताराचन्द हैड कानि0 112 को सुपर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। वक्त 9.35 पी.एम. पर श्री रामकिशोर कानि0 110, श्री संजय कानि. 587 जरिये सरकारी वाहन बोलेरो संख्या आर.जे 14 यूसी 4995 चालक श्री लालाराम के आरोपी श्री सेठाराम पुत्र श्री हनुमानराम उम्र 30 साल जाति माली निवासी बेलवा खत्रिया तहसील बालेसर जिला जोधपुर हाल उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया पंचायत समिति बालेसर जिला जोधपुर का जिला अस्पताल पावटा से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्रात कर आरोपी श्री सेठाराम को सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि रहदारी हेतु पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी कमिश्नरेट जोधपुर को सुपुर्द करते हुए प्राप्ति रसीद प्राप्त कर हाजिर आये।

आरोपी श्री सेठाराम र्कावाहक सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा खत्रीया पंचायत समिति बालेसर ने दौराने पूछताछ अपने पिताजी का नाम श्री हनुमानराम बताया था। जबकि विकास अधिकारी पंचायत समिति बालेसा जिला जोधपुर द्वारा आरोपी श्री सेठाराम कार्यवाहक सरपंच के उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजात एवं आरोपी का प्राप्त किया गया आधार कार्ड की छाया प्रति में आरोपी के पिता का नाम श्री हडमानाराम होना पाया गया है।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री सेठाराम पुत्र श्री हडमाना राम उम्र 30 साल जाति माली निवासी बेलवा खत्रिया तहसील बालेसर जिला जोधपुर हाल उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया पंचायत समिति बालेसर जिला जोधपुर द्वारा परिवादी श्री मुकेश कुमार से आरोपी द्वारा कब्जा सुदा पैतृक भूखण्ड के दो पट्टे बनाने की एवज में 55,000/– रूपये रिश्वति राशि की मांग करने, परिवादी द्वारा मिन्नते करने पर एक–दो हाजर रूपये कम करते हुए 53,000/– रूपये लेने हेतु सहमत होकर वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री सेठाराम उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया द्वारा मांग के अनुशरण में परिवादी से 53,000/– रूपये रिश्वति राशि प्राप्त कर अपने बांये हाथ मे रखे। जहां से रूबरू गवाहान के रिश्वति राशि 53,000/– रूपये आरोपी श्री सेठाराम उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया के बांये हाथ से बरामद होना पाया गया है।

आरोपी श्री सेठाराम पुत्र श्री हडमाना राम उम्र 30 साल जाति माली निवासी बेलवा खत्रिया तहसील बालेसर जिला जोधपुर हाल उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया पंचायत समिति बालेसर जिला जोधपुर के दाहिने हाथ की अंगूलियों/अंगूठे के लिये गये धोवन में गहरा गुलाबी रंग, आरोपी के बॉये हाथ की अंगूलियों/अंगूठे के लिये गये धोवन में गहरा गुलाबी आना, 53,000/– रूपये रिश्वति राशि आरोपी श्री सेठाराम उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच के हाथ से बरामद होना। इस तरह आरोपी श्री सेठाराम पुत्र श्री हनुमानराम उम्र 30 साल जाति माली निवासी बेलवा खत्रिया तहसील बालेसर जिला जोधपुर हाल उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया पंचायत समिति बालेसर जिला जोधपुर का उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता हैं। लिहाजा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते क्रमांकन जरिये ई–मेल प्रेषित की जा रही है।

(ओमप्रकाश चौधरी)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जोधपुर ग्रामीण

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ओमप्रकाश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सेठाराम हाल उप सरपंच, कार्यवाहक सरपंच, ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया, पंचायत समिति बालेसर, जिला जोधपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 150/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

14/6/23
(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 1131-34 दिनांक 14.06.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर।

14/6/23
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।